कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक (का) झांसी Date:-18-09-2023

पत्रांक-P/161/Act Apprentice/Rect/JHS

Ch. OS/Mech/C&W, DSL, Elect./TRS

Sub:-एक्ट अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओ वृत्तिका रू 7000/- के भुगतान के संबंध में।

XXXXXXXXXXXX

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.03.2023 के द्वारा क्षेत्रीय निदेशक आरडीएसडीई/कानपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक्ट अप्रैन्टिस प्रशिक्षुओं को रू 7000/— स्टाईपेन्ड प्रतिमाह भुगतान के स्थान पर रू 5500/— किया गया था। शेष राशी रू 1500/— का भुगतान क्षेत्रीय निदेशक आरडीएसडीई/कानपुर के माध्यम से किया जाना था।

MSDE/New Delhi के पत्र दिनांक 01.09.2023 एवं 06.09.2023 के निर्देशानुसार वृत्तिका में संशोधन करते हुए एक्ट अप्रेन्टिस 1961 के प्रशिक्षुओं को माह सितम्बर-2023 से रू 7000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें है। www.anilsiriti.in

इसे सक्षम अधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(जी0पी0 मिश्रा) मण्डल कार्मिक अधिकारी/झांसी

प्रति— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है— 01-Sr.DME/C&W/JHS, Sr.DME/DSL/JHS, Sr.DEE/TRS/JHS. 02-सचिव एनसीआरईएस / एनसीआरएमयू / एससी—एसटी एशो० झांसी। 03—निदेशक—क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, उद्योग नगर कानपुर, उ०प्र०—208022